



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 1642 / 1सी0 (वन)

दिनांक 7 / 10 / 2016

सेवा में,

उप वनसंरक्षक

केदनाथ वन्य जीव प्रभाग

गोपेश्वर।

विषय:-

प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12837/2015 कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी राज्य मार्ग सं0 34 से मालई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 हे0 सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

Essential Details Sought दिनांक 06.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि कर्णप्रयाग -नौटी-पैठाणी राज्य मार्ग सं0 34 से मालई मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply of point 1 of this office EDS dated 24-5-2016 the state govt informed that the required map submitted in CD but not received in this office yet. The state Govt may upload the required georeferenced map in online part I.	georeferenced map पार्ट- I में दिनांक 05.09.2016 के ई0डी0एस0 के संदर्भ में संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है। आपके कार्यालय के पत्र सं0 6801/ 12-1 दिनांक 23.6.2016 द्वारा Shape file (मानचित्र) की CD अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून प्रेषित की जा चुकी है। संलग्न 1- पत्र सं0 6801/ 12-1 दि0 23.6.2016 की छाया प्रति। (पेज नं0 1) 2- पत्र प्राप्ति की रसीद। (पेज नं0 2)
2	In reply of point 2 of EDS dated 24-5-2016 the corrected copy of FRA with all annexure is still not uploaded in part i column k.	एफ0आर0ए0 दिनांक 05.09.2016 के ई0डी0एस0 के संदर्भ में संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।
3	In reply of point 4 the state govt provided vague reply on the matter. The state govt may specify the comments.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

इसके अतिरिक्त ई0डी0एस0 दिनांक 05.09.2016 का उत्तर इस कार्यालय के पत्र सं0 1457/ 1 सी0(वन) दि0 08.9.2016 को प्रेषित किया जा चुका है। जो Additional Information के क्रम सं0 37 में भी अपलोड किया गया है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

/ 12-1

गोपेश्वर,

दिनांक 23 जून 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि संवर्क्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

पत्र सं.

015

फाइल सं.

1 सी (वन)

दिनांक

29-6-2016

द्वारा:-

निदेशक/ वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग - पेंटाणी राज्य मार्ग रा0 34 से ग्राम मालई तक मोटर मार्ग का निर्माण।

संदर्भ:-

अधिशारी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0 का पत्रांक 834/1 री0 (वन) दिनांक 10-06-2016

महोदय,

विषयोंकित प्रकरण के सम्बन्ध में चाही गई आख्या विन्दुवार प्रेषित की जा रही है:-

क्र0 स0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No -2 of EDS, it is mentioned that the information/document is uploaded in Part-I by User Agency. But the Scanned copy of the map prepared by Using GPS i.e the geo-referenced digital map showing geo-coordinates at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road to be prepared through GIS software has not been found attached at para-B-2.4 instead, the previously attached geo-referenced digital map only is found attached which does not serve the purpose	प्रयाक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग geo-referenced digital map के सभी all turning points (curves) प्रत्येक 200 से 300 मी0 पर coordinates संशोधित कर पार्ट I में अपलोड किया गया है। Geo referenced map digital map की shape file सी0डी0 में सॉफ्ट कर प्रेषित की जा रही
2	In reply to point No -3 of EDS, it is mentioned that the documents are uploaded in Part-I by the User Agency. But, the previously attached documents only are found attached in online para-k-without mentioning date. State Govt. may submit FRA certificate and proceedings of the Sub Divisional Level Committee meeting after recording date in the documents	Part I के Column A-K(a) में संशोधन कर upload किया गया है।
3	In reply to point No -4 of EDS, density is corrected to 0.3, hence, revised NPV calculation is required to be submitted	Part II के Column 4 में संशोधन कर upload किया गया है।
4	Regarding data given in the district profile in para-14 of on line Part-II, the reply of the State Govt. is not satisfactory. The CA stipulated (434.32 ha) is not commensurate to the forest land diverted (1031.955 ha). Logically, CA stipulated should be double the area of forest land diverted. Therefore, State Govt. may clarify the mismatch. Further, it is mentioned in the reply by the State Govt. that it is not possible to complete the CA targets because of delay and resultant increase in the daily wage rates. State Govt. may undertake critical review of such situations and submit comments to this office.	प्रभाग के अन्तर्गत 1031.955 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित की गई है, जिसमें सापेक्ष वर्ष 2008 से पूर्व 434.32 हे0 वनीकरण किया गया है। शेष वनीकरण कार्य करने हेतु धनराशि की मांग की गई है। धनराशि प्राप्त होते ही अवशेष क्षतिपूर्क वनीकरण का लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाएगा।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशारी अभियन्ता, लो0नि0वि0 गौचर के उक्त संदर्भित पत्र के साथ मय सीडी उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0)

, उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 6801/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

अधिशारी अभियन्ता, अरथाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को इस आशय से प्रेषित की उक्त geo referenced map digital map की shape file सी0डी0 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संवर्क्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध करान का कष्ट करें।

LAC

319

(नीतू लक्ष्मी एम0)

उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

गैला सुहास

रैना में,

उपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर फारेस्ट
कालोनी, देहरादून।

पत्रांक सं० - 6801/12-1 दिनांक 23 जून 2016

संलग्न - (पत्र एवं सी०डी० 2 नं०)

प्रमाणित

2016

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय (वन विभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून

संलग्न - (पत्र एवं सी०डी० 2 नं०)
23/06/2016

प्रमाणित
मुख्य अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून